2023/276

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री दुष्यन्तसिंह देवड़ा
निवासी वीराली पोस्ट नयासानवाडा
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 67 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
14.12.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 01.11.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम विरोली की सरपंच श्रीमती अल्का रावल के वर्तमान कार्यकाल के प्रारम्भ से लेकर अभी तक जो योजनाए और बजट ग्राम विरोली के लिए पास हुए है, उनकी पूरी सूची एवं सरकार द्वारा जारी कौन–कौन सी योजनाऐं पूर्ण हो चुकी है एवं कौनसी वर्तमान में चल रही है, उनकी सूची एवं नवीनतम बनी सडक ग्राम के किए एरिया तक प्रस्तावित है एवं स्वच्छता के लिए ग्राम में निकासी एवं नालियों के लिए कोई बजट पास किया गया है तो उसका विवरण एवं वर्तमान में चल रही पाईप लाईन बिछाने का कार्य कहां तक प्रस्तावित है एवं जो योजनाए धरातल पर न होकर केवल कागजों में है, उनकी शिकायत कहां व कैसे की जाए, से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को दिनांक 01.11.2023, को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ग्राम विरोली की सरपंच श्रीमती अल्का रावल के वर्तमान कार्यकाल के प्रारम्भ से लेकर अभी तक जो योजनाए और बजट ग्राम विरोली के लिए पास हुए है, उनकी पूरी सूची एवं सरकार द्वारा जारी कौन–कौन सी योजनाऐं पूर्ण हो चुकी है एवं कौनसी वर्तमान में चल रही है, उनकी सूची एवं नवीनतम बनी सडक ग्राम के किए एरिया तक प्रस्तावित है एवं स्वच्छता के लिए ग्राम में निकासी एवं नालियों के लिए कोई बजट पास किया गया है तो उसका विवरण एवं वर्तमान में चल रही पाईप लाईन बिछाने का कार्य कहां तक प्रस्तावित है एवं जो योजनाए धरातल पर न होकर केवल कागजों में है, उनकी शिकायत कहां व कैसे की जाए, से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner